Office of The sadar Majlis Ansarullah Bharat
دفتر صدر مجلس انصاراللہ بھارت
Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः सैय्यदना ख़लीफ़तुल मसीहिल ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिरिहिल अज़ीज़ दिनांक 01.04.16 मस्जिद बैतुल फ़तूह लंदन।

निःसन्देह हम अहमदी उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत की तथा उन लोगो में शामिल हुए जो अल्लाह तआला के आदेशानुसार कर्म करने वाले हैं। इस बात पर हम अल्लाह तआला का जितना भी शुक्र अदा करें वह कम है कि उसने हमारा सीधे रास्ते की ओर मार्गदर्शन किया।

तशह्हुद तअव्वुज़ और सूरः फ़ातिहः की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

पिछले दिनों मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक वृत्तांत पढ़ा था कि तुम लोग जो मेरे ज़माने में पैदा हुए हो, ख़ुश हो जाओ और ख़ुशी से उछलो कि अल्लाह तआला ने तुम्हें इस ज़माने में पैदा करके उन भाग्यशाली लोगों में शामिल कर दिया जिन्हें मसीह मौऊद का ज़माना देखने को मिला, जिसकी प्रतीक्षा करते करते कितनी ही क़ौमें इस दुनया से गुज़र गईं। भावार्थ यही था, जिसे मैंने अपने शब्दों में बयान किया है अब। निःसन्देह हम अहमदी उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत की तथा उन लोगो में शामिल हुए जो अल्लाह तआला के आदेशानुसार कर्म करने वाले हैं। उन अभागे लोगों में नहीं हैं जिनको बावजूद मसीह मौऊद का ज़माना मिलने के, बैअत करने की तौफ़ीक़ नहीं मिली, क्यूँकि कुछ ऐसे भाग्य हीन भी हैं जो विरोध में बढ़े हुए हैं और इस प्रकार अल्लाह तआला के मार्गदर्शन से वंचित होकर भटके हुए तथा बिखरे हुए हैं।

अतः इस बात पर हम अल्लाह तआला का जितना भी शुक्र अदा करें वह कम है कि उसने हमारा सीधे रास्ते की ओर मार्गदर्शन किया और हमें जीवन कि विभिन्न अवसरों पर उठने वाले सवालों तथा समस्याओं के निवारण भी वास्तविक इस्लाम की शिक्षानुसार अपने इमाम के द्वारा बताए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपने लेखों, उपदेशों तथा मज्लिसों में भी कुछ बातें उदाहरण के रूप में बयान फ़रमाया करते थे जो आपके सहाबा द्वारा हमें ज्ञात होते हैं परन्तु सर्वाधिक एहसान हम पर इस संदर्भ में हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु का है जिन्होंने अपने ख़ुत्बों तथा भाषणों में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के द्वारा बयान की हुई बातें बयान की हैं जो सामान्यतः हज़रत मुस्लेह मौऊद ने स्वयं देखीं अथवा सुनीं या निकट के सहाबा ने आपको बताईं। इस प्रकार उदाहरणों के द्वारा बात को समझना सरल हो जाता है। एक ख़ुत्बः में हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु ने इस विषय को बयान फ़रमाया कि हड़तालें अथवा स्ट्राईक्स उचित हैं या नहीं? इस बारे में मूल रूप से यह भी देखना चाहिए कि हड़तालें क्यूँ होती हैं, इनका मूल कारण कया है? वह यह है कि अधिकारों का हनन होता है। इस्लाम की शिक्षा यह है कि तुम एक दूसरे के लिए ग़ैर न बनो बल्कि आपस में भाई भाई समझकर अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करने का प्रयास करो तो निज़ाम जो है, चाहे वह दुनया का निज़ाम है, कभी ख़राब नहीं होता। यह सारांश है इस्लाम की शिक्षा तथा इस्लाम के समाज का और जहाँ हक़ लेने का सवाल है, उचित वैधानिक साधन प्रयोग में लाने चाहिएँ। अतः इस संदर्भ में हज़रत मुस्लेह मौऊद बयान फ़रमाते हैं कि इस्लाम की इमारत जो समाज के सम्बंध में है उसका आधार न्याय एवं मुहब्बत पर है इस लिए अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए भी वही मार्ग अपनाना चाहिए जो प्रेम तथा न्याय पर आधारित हो। यही कारण है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब कभी हड़ताल होती और कोई अहमदी उसमें शामिल होता तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसे कठोर दंड देते तथा उस पर अपनी नाराज़गी प्रकट फ़रमाते। आजकल इस्लामी देशों में जो हड़तालें और विद्रोह होता है, एक दूसरे के अधिकार न देने के कारण पैदा होता है। अल्लाह तआला मुस्लिम देशों को, विशेष रूप से पाकिस्तान को, उनकी सरकारों को बुद्धि प्रदान करे कि ये लोग अपनी प्रजा के अधिकार अदा करने वाले हों। इसी प्रकार प्रत्येक अहमदी को भी दुआ के साथ साथ, यदि

कहीं विवशता के कारण भी शामिल करने का प्रयास किया जाता है तो विवश होकर कोई ऐसा कार्य न करे जो सम्पत्तियों को हानि पहुंचाने वाला हो, सरकारी सम्पत्ति को नष्ट करने वाला हो।

प्रत्येक मनुष्य जो किसी भी काम से जुड़ा हुआ है वह यदि अपने काम में रूचि रखता है तो अपनी सम्पूर्ण क्षमताओं के साथ उसे निर्वाह करने का प्रयास करता है, यह एक महत्त्व पूर्ण निर्देश है इसकी व्याख्या करते हुए एक स्थान पर हज़रत मुस्लेह मौऊद ने व्याख्या की तथा फिर उदाहरण भी दिया कि यदि कोई फ़ौजी है अथवा जर्नल है या अध्यापक है या जज है या वकील है या व्यवसाई है या असम्बली का सैक्रेट्री है, स्पीकर है, शासन का मन्त्रि है, जो भी हो ईमानदारी से काम करता है, दिल लगाकर काम करने वाला है, पूरा समय देने वाला है तो शाम को थक कर बैठता है जब, तो यही कहता है कि पूरे दिन की व्यस्तता और बोझ ने हमारी कमर तोड़ दी परन्तु जब हम आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो हमारे लिए जो दिव्य आचरण आपने पेश किया वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है कि ये समस्त कार्य जो दुनया के विभिन्न विभागों से सम्बंध रखने वाले लोग करते हैं वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समस्त काम उनसे बढ़कर करते हुए दिखाई देते हैं परन्तु साथ ही आप घर के काम काज भी कर लेते थे। बीवियों की सहायता भी करते थे तथा इतने ध्यान पूर्वक करते थे कि प्रत्येक बीवी समझती थी कि सबसे बढ़कर मैं ही आपकी कृपा के नीचे हूँ। अतः असर की नमाज़ के बाद रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नियम था कि आप सारी बीवियों के घरों में एक चक्कर लगाते तथा उनसे उनकी आवश्यकतओं के विषय में पूछते। फिर कई बार घरेलू कामों में आप उनकी सहायता भी फ़रमा देते। हज़रत मुस्लेह मौऊद फ़रमाते हैं कि मुझे याद है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम की यह स्थिति होती थी कि हम जब सोते तो आपको काम करते देखते और जब आँख खुलती तब भी आपको काम करते देखते तथा बावजूद इतना परिश्रम एवं कठिनाईयाँ सहन करने के, जो दोस्त आपकी पुस्तकों के पुरूफ़ पढ़ने में शामिल होते आप उनके काम का इतना आदर करते कि यदि ईशा की नमाज़ के समय भी कोई आवाज़ देता कि हुज़ूर मैं पुरूफ़ ले आया हूँ तो आप चारपाई से उठकर द्वार तक जाते हुए रास्ते में उसे कई बार फ़रमाते, जज़ाकल्लाह आपको बड़ी असुविधा हुई, जज़ाकल्लाह आपको बड़ी कठिनाई हुई, यद्यपि वह काम जो पुरूफ़ रीडिंग करने वाले करते थे, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं होता था जो आप स्वयं किया करते थे। अतः इतना अधिक काम करने की आदत हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम में देखी कि इसके कारण हमें आश्चर्य होता था।

फिर इस्लाम में महिलाओं का भविष्य सुरक्षित करने के विभिन्न मार्ग हैं। एक यह भी है कि जब उसकी शादी हो तो उसके लिए महर का अधिकार रक्खा गया है इस लिए उसकी अदायगी होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि केवल तलाक़ अथवा अलग होने की अवस्था में ही महर अदा करना है। उद्देश्य क्या है महर के अधिकार का? उद्देश्य यह है कि वह धनराशि जो महिला के पास होनी चाहिए ताकि कई बार उसको कोई आवश्यकता हो जाए, कोई अतिरिक्त व्यय उसके ऊपर आ पड़े जिसका वह अपने पति से भी अनुरोध करते हुए संकोच करे तो उसमें से वह ख़र्च कर सके अथवा कई बार ऐसी आवश्यकता आ सकती है जो उस समय पर पति भी पूरी नहीं कर सकते तो महिला के पास कुछ हो, तो तभी वह पूरा कर सकती है अपनी आवश्यकता और यदि महर देना ही नहीं तो ये दोनों अवस्थाएँ अथवा अन्य अनेक आवश्यकताएँ, वे पूरी नहीं हो सकतीं। कुछ पति महर के अधिकार की अदायगी तो एक बात रही, महिला जो अपनी आय अर्जित कर रही होती है उस पर भी पाबन्दी लगा देते हैं कि तुमने हमारी अनुमति के बिना ख़र्च नहीं करना अथवा हमें दो ये पूरी आमदनी जो है इसमें से इतना अंश हमारे पास आना चाहिए, हमारे बैंक एकाउन्ट में आना चाहिए, जो पूर्णतः अनुचित है। कुछ लोग अपनी बेटियों के महर स्वयं लेते हैं यह वर्जित है तथा यह बरदा फ़रोशी (इंसानों को क्रय विक्रय करने का व्यापार) जो किसी प्रकार भी उचित नहीं। इसी प्रकार कई बार महिलाएँ महर पाने का अधिकार अपने पतियों को क्षमा भी कर देती हैं परन्तु इसके लिए भी कुछ अनुबन्ध हैं कि उनके हाथ में रखकर फिर पूछो। वास्तविकता यही है कि यह धनराशि महिला के पास कम से कम एक साल रहना चाहिए और इस अवधि के पश्चात यदि वह माफ़ करे तो फिर ठीक है। फिर ज़कात है, ज़कात भी अनिवार्य कर्म में दाख़िल है। प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए ज़कात है जो इसकी शर्तें पूरी करता हो परन्तु ऐसी संतआत्माएँ भी हैं जो जितना धन हो, जितनी आमद हो, अल्लाह की राह में

ख़र्च कर देते हैं। ऐसी ही एक द्विव्यात्मा का वृत्तांत हज़रत मुस्लेह मौऊद बयान फ़रमाते हैं कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि दुनया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ख़ुदा तआला ने लोगों के लिए नमूने के रूप में पैदा किया होता है। हज़रत मुस्लेह मौऊद कहते हैं कि मैंने स्वयं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से सुना है कि किसी बुज़ुर्ग से सवाल किया कि कितने रुपयों पर ज़कात है? उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे लिए मसला यह है कि चालीस रुपए में से एक रुपया ज़कात दो। उसने कहा कि आपने जो यह वाक्य बोला है कि तुम्हारे लिए, इसका क्या अर्थ है। क्या ज़कात का मसला बदलता रहता है हर एक के लिए? उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे पास चालीस रुपए हों तो उनमें से एक रुपया ज़कात देना तुम्हारे लिए अनिवार्य है परन्तु यदि मेरे पास चालीस रुपए हों तो मुझपर इकतालीस रुपए देना अनिवार्य है। क्यूँकि तुम्हारा स्तर ऐसा है कि ख़ुदा तआला ने फ़रमाया कि तुम कमाओ और खाओ, परन्तु मुझे वह स्तर प्रदान किया है कि मेरे ख़र्चों का वह स्वयं पूरक है यदि मूर्खता के कारण मैं चालीस रुपए एकत्र कर लूँ तो मैं वे चालीस रुपए भी दूंगा तथा एक रुपया जुर्माना भी दूंगा। तो यह संतात्माओं का हाल है। परन्तु शेष मनुष्य जो हैं, जो केवल दुनया के रहने वाले जो हैं, वे निःसन्देह अब दुनया कमाएँ और फिर अपने माल तथा समय का कुछ भाग ख़र्च करें, इबादत तथा दीन के कामों में भी अपना समय लगाएँ, इस्तिग़फ़ार भी करें, दुआएँ भी करें। अल्लाह तआला ने जो उन्हें सम्मान एवं दौलत तथा ख्याति दी है तो यह उपकार के रूप में अल्लाह तआला की ओर से है। अतः इस उपकार का धन्यवाद यह है कि इसमें से दूसरों का भी साथ साथ ध्यान रक्खें। कुछ लोगों में बुद्धि, अधिक व्यापारी होती है अथवा दूसरे की नक़ल करने में ही ऐसी बातें कर जाते हैं जो जमाअत के चलन के विरुद्ध होती हैं अथवा इस्लाम की शिक्षा के अनुसार नहीं होतीं। ऐसे लोग ओहदेदारों में भी पाए जाते हैं, कई बार स्थानीय मज्लिसें भी ऐसे निर्णय कर लेती हैं। एक सैद्धांतिक बात है जो हमारी शिक्षा तथा चलन के विरुद्ध कोई बात हो, उससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए तथा दुनयादारी में यदि हमने नक़ल करनी है तो पहली बात तो यह है कि दुनयादारी की नक़ल है ही नहीं और यदि किसी भी बात में नक़ल करनी है तो अल्लाह तआला ने जो हमें फ़रमाया कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए सुन्दर नमूना हैं, आपकी नक़ल करनी चाहिए या फिर इस ज़माने में अल्लाह तआला ने जो नमूना बनाया है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, आपने जो अपने आक़ा से सीखा, हमें बताया इसके अनुसार हमें चलना चाहिए।

हज़रत मुस्लेह मौऊद एक घटना बयान फ़रमाते हैं कि मुझे याद है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जीवन का अन्तिम वर्ष था अथवा आपके बाद प्रथम ख़िलाफ़त का कोई रमज़ान का महीना था। अतः मौसम की गर्मी के कारण अथवा इस लिए कि मैं सहरी के समय पानी नहीं पी सका था। मुझे एक रोज़े में बड़ी प्यास लगी थी कि मुझे यह भय हुआ कि मैं बेहोश हो जाऊँगा तथा दिन छिपने में अभी एक घन्टा शेष था। मैं निढाल होकर एक चारपाई पर गिर पड़ा और मैंने कश्फ़ में देखा कि किसी ने मेरे मुंह में पानी डाला है, पान डाला है। मैंने उसे चूसा तो सारी प्यास जाती रही। अतः जब वह अवस्था जाती रही तो मैंने देखा कि प्यास का नाम-ओ-निशान भी न शेष रहा था। तो अल्लाह तआला ने इस प्रकार से मेरी प्यास बुझा दी और जब प्यास बुझी तो पानी पीने की कोई आवश्यकता न रही। आवश्यकता तो उस समय थी ना जब प्यास लग रही थी। उद्देश्य तो यह होता है कि आवश्यकता पूरी कर दी जाए चाहे उचित साधन के द्वारा हो, चाहे उसकी इच्छा से मुक्ति पैदा करके। अर्थात उसकी इच्छा न रहे या तो वह चीज़ उपलब्ध कर दी जाए अथवा उस चीज़ की इच्छा न रहे। तो इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए तथा इसी प्रकार दुआ करनी चाहिए अल्लाह तआला से। अतः मूल बात यही है कि अल्लाह तआला की प्रसन्नता तथा उसके निर्णय को महत्त्व देते हुए दुआ की जाए। अब भी कुछ लोग पत्र लिखते हैं, मुझे भी पत्र आते हैं कि अमुक के यहाँ रिश्ता करना है, उससे हो जाए दुआ करें, साथ ही प्रयास भी करें और उसके माता पिता को भी कहें तथा उस निज़ाम को भी कहें अन्यथा नष्ट हो जाऊँगा। मैं भी मर जाऊँगा तथा दूसरा पक्ष भी मर जाएगा। तो ये व्यर्थ एंव अनर्थ की बातें हैं। शादी का वास्तविक उद्देश्य तो मन की शांति और नस्ल को आगे चलाना है। अतः अल्लाह तआला से उसका फ़ज़्ल मांगना चाहिए और यदि अल्लाह तआला की दृष्टि में उचित है तो हो, अन्यथा दिल से उतर जाए और इच्छा समाप्त हो जाए। ये मुहब्बतें जो संसारिक हैं ये अस्थाई मुहब्बतें होती हैं। दुनया की मुहब्बत भी अल्लाह तआला की मुहब्बत के लिए मांगनी चाहिए और यदि फिर यह होगा तो फिर सांसारिक मुहब्बत भी नेकी बन जाएगी और फिर सदैव मन की शांति तथा संतुष्टि इसका परिणाम रहेगी। इस बात को बयान फ़रमाते हुए कि

दुनया में कोई चीज़ अपने अस्तित्व में हानि कारक नहीं है हज़रत मुस्लेह मौऊद फ़रमाते हैं कि कुचला है, एक विष है। इसके खाने से कई लोग मर जाते हैं परन्तु लाखों लाख इंसान इसके द्वारा बचते भी हैं अर्थात उपचार के रूप में प्रयोग होता है। इसी प्रकार बड़ी हानि कारक चीज़ अफ़यून है परन्तु इसके विनाश की तुलना में इसके लाभ अत्यधिक हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाया करते थे कि चिकित्सकों का कथन है कि उपचार की आधी दवाएँ ऐसी हैं जिनमें अफ़यून उपयोग में लाई जाती है तथा इसका इतना लाभ है कि अनुमान लगाना कठिन है। अतः दुनया में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो अपने अस्तित्व में हानि कारक हो। हानि देने वाली चीज़ केवल उसका अनुचित उपयोग है जो इंसान की अपनी त्रूटियों का परिणाम होता है।

अतः सदैव याद रखना चाहिए कि सच्चे मोमिन का काम है कि जब किसी काम का अच्छा परिणाम निकले तो यह कहे कि अलहमदु लिल्लाह, मुझे ख़ुदा तआला ने सफल कर दिया और जब बुरा परिणाम निकले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े और कहे कि मैं अपनी ग़लतियों के कारण असफल हुआ। ख़ुदा तआला की ओर से बरकत उसे मिलती है जो त्रूटियों को स्वयं से सम्बंधित करे और सफलताओं पर अलहमदु लिल्लाह कहे। ऐसा कहने वालों पर अल्लाह तआला फिर दया करता है तथा फिर यह कहता है दया करते हुए कि मेरा बन्दा सफलताओं को मुझसे सम्बंधित करता है तो मैं उसे और अधिक सफलताएँ प्रदान करूँ। कुछ छोटी छोटी बातें बड़े निष्कर्ष उत्पन्न करती हैं, इस बात को बयान फ़रमाते हुए हज़रत मुस्लेह मौऊद ने अपने एक ख़ुत्बः में फ़रमाया कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से मैंने सुना है, आप किसी महिला की घटना बयान फ़रमाते हैं कि उसका एक ही लड़का था वह लड़ाई पर जाने लगा तो उसने अपनी माँ को कहा कि आप मुझे कोई चीज़ बताएँ जो मैं यदि वापस आऊँ तो उपहार के रूप में आपके लिए लेता आऊँ। माँ ने कहा कि अच्छा यदि तू मेरे लिए कुछ लाना ही चाहता है तो रोटी के जले हुए टुकड़े जितने अधिक ला सको, ले आना। उन्हीं से मैं ख़ुश हो सकती हूँ। कुछ अंतराल के पश्चात जब वह घर आया तो उसने जले हुए टुकड़ों के बहुत से थैले अपनी माँ के आगे रख दिए। वह यह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और कहा कि मैंने जले हुए टुकड़े लाने के लिए तुम्हें कहा था इस लिए कि तुम उन टुकड़ों के लिए ऐसी रोटी पकाओगे कि वह कुछ जल भी जाए और जली हुई रोटी को रख दोगे तथा शेष को खा लोगे इससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अतः ऐसा ही हुआ, तो प्रत्यक्षतः यह छोटी सी बात है। हज़रत मुस्लेह मौऊद फ़रमाते हैं कि दुआ के क़बूल होने के विषय में भी कुछ लोग समझते हैं कि ये छोटी छोटी बातें हैं। दुआ के क़बूल होने के लिए दो मूलभूत शर्तें हैं उनको याद रखना चाहिए कि فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي अर्थात मेरी बात मानो तथा मुझ पर ईमान लाओ। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारी बातें हैं, दरूद भेजो, दान करो। मुझे लिख भी देते हैं बहुत सारे लोग कि हमने बहुत दुआएँ कीं, अल्लाह तआला ने हमारी दुआएँ क़बूल नहीं कीं। यह अल्लाह तआला पर आरोप है। वास्तव में यह ईमान की कमज़ोरी भी है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया कि मैंने बहुत दुआएँ कीं हैं मेरी दुआएँ क़बूल नहीं हुईं, क्या कारण है। तो मैंने उसे यही कहा कि अल्लाह तआला तो यह कहता है कि فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي अर्थात मेरे आदेशों का पालन करो, तो क्या तुम अल्लाह तआला के जो समस्त आदेश हैं, उन पर चलते हो? वह कहने लगा नहीं, तो फिर पहले अपनी अवस्थाओं को हमें देखना चाहिए कि हम किस सीमा तक पालन कर रहे हैं। अल्लाह तआला हमें अपने आदेशों पर चलने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए, हमारे ईमानों को सुदृढ़ करे तथा हमारी दुआओं को भी क़बूलियत का स्तर प्रदान करे।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- नमाज़ों के बाद मैं एक जनाज़ा ग़ायब भी पढ़ाऊँगा जो सय्यद असदुल इस्लाम शाह साहब ग्लासको का है, सय्यद नईम शाह साहब के बेटे हैं यह। इनके वालिद भी और लड़के के दादा भी, पुराना यह परिवार है, सेवा करने वाला भी है। 24 मार्च 2016 को 40 वर्ष की आयु में एक आतंकी के प्रहार के परिणाम में निधन हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम, डा. नसीरुद्दीन साहब क़मर पेन्शनर सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान के दामाद थे। रीजिनल अमीर साहब ने कहा है कि अन्त में मैंने जब उनसे मुलाक़ात की, उन्होंने सदा ख़िलाफ़त से सम्बंध को प्रकट किया तो कुछ लोगों को यह ग़लत फ़हमी है कि शायद जमाअत छोड़ गए थे, परन्तु नहीं, अहमदी ही थे तथा अहमदियत के कारण शहीद हुए।

अल्लाह तआला उनसे क्षमा तथा दया का व्यवहार फ़रमाए और उनके परिजनों को, माता पिता को, पत्नि को शांति एंव संतोष प्रदान करे।